

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:- सं.24(6)(1)स्था/पदवै./अभि/2021 8465-525 दिनांक :- 01/09/2021

-: आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 36 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के पे मेट्रिक्स लेवल -12 में पदोन्नत किया जाता है:-


क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया	विशेष विवरण
1	3	4	6	7
1.	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन लाल	एस.सी. (सामान्य रिक्ति के विरुद्ध)	दिनांक 1.4.2020	---
2.	श्री भंवरसिंह सोलंकी पुत्र श्री खुमानसिंह	सामान्य	दिनांक 1.4.2020	रो०नि० 30.4.2021
3.	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुन्नालाल	सामान्य	दिनांक 1.4.2020	

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होगा। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प 13(5) साप्र/3/08 दिनांक 04.08.2021 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।


(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु) सहित।
3. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु) सहित।
4. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
5. सम्बन्धित कार्मिक
6. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर